

## न्यायालय तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर

मु0 न0	दायर दिनांक	अ0 घा0	निर्णय दिनांक
57/19	12.12.2019	91 एल0आर0 एक्ट	24.02.2021

सरकार बनाम मदनलाल पुत्र सुखदेवाराम जाति-मेघवाल, निवासी-उदनसर तहसील फतेहपुर

24.02.2021 पत्रावली आज पेश हुई । गैरसायल अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का उदनसर ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि मोजा ग्राम उदनसर के राजकीय भूमि ख0न0 521 रकबा 17.70 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 0.01 है0 पर मदनलाल पुत्र सुखदेवाराम जाति-मेघवाल, निवासी-उदनसर तहसील फतेहपुर ने मकान व बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया है । रिपोर्ट पटवारी हल्का उदनसर के आधार पर प्रकरण राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर गैरसायल को अ0 घा0 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलबी वारते जवाबदेही की गई । गैरसायल अनुपस्थित रहा । अतः गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 19.02.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । गैर सायल के विरुद्ध पटवारी हल्का उदनसर की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 24.02.2021 को बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का उदनसर एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । गैर सायल द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है । अतः गैर सायल को राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा गैर सायल मदनलाल पुत्र सुखदेवाराम जाति-मेघवाल, निवासी-उदनसर तहसील फतेहपुर के राजकीय भूमि ख0न0 521 रकबा 17.70 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 0.01 है0 भूमि से आदेश बेदखली पारित किया जाता है । भू0अ0नि0 उदनसर को आदेश दिया जाता है कि गैर सायल को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें ।

गैर सायल द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 00.05 रु का 50 गुणा तावान की कुल राशि 03/- रुपये बतौर शास्ती आरोपित किये जाते हैं । तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को मांग कायमी एवं वसूली हेतु लिखा जावे ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो । निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



तहसीलदार  
तहसील फतेहपुर - सीकर  
तहसीलदार  
फतेहपुर (सीकर)

तहसीलदार  
फतेहपुर (सीकर)